

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

卷八


पत्रांक :७२ / प्र०३०(भ०) / जोन-६ / वि०प्रा०१० / २०१४-१५ दिनांक ७/०८/२०१४
विनियमितीकरण / अनुमति-पत्र

यह दिनियमितीकरण/निर्माण की अनुमति ३०५० नगर निवोजन द्वारा विलास डिजिटेस 1973 की धारा ३२ एवं १४ व १५ के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस एवं व्यवसायिक/आवासीय (शैमन/प्रस्तावित) भागचित्र विनियमित/धीरकर किया जा रहा है, इसले यिसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारी पर किसी का कोई आसर पड़ेगा अथवा वह अनुमति की ही के गिरियत मा दर्दनित हो अधिकारी के विच्छुल्ले लोड प्रभाप न रखेंगी।


श्रीमती लालगढ़ी द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल एवं श्री सोनेन्द्र प्रसाद जायसवाल पुत्र स्वामी राम कुमार जायसवाल द्वारा खूबसूरत राख्या-F-N-07 शास्त्रीपुण्य आवास सोजना फाणामल इलाजामाद जो, संख्या (6) के अन्तर्गत दाखिल व्यवसायिक / आयासीय (शम्पन / प्रस्तावित) मानचित्र के क्रम में निचाँकित प्रधिकरणों के अधीन प्रदत्त की जाती है :-

- उपरोक्त नगर नियोजन एवं प्रिकास अधिनियम 1973 की धारा 15(1) के प्राथिकानों के अनुसूच पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात भी डप्पोर्ग/डिविझन किया जायेग, नवा नियोजन एवं प्रिकास उपरोक्त 2008 में लूप्विष्ट संस्कार 1.2.8 एवं 3.1.8 में नियोजित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
 - नियोजन पूर्ण होने के उपरान्त, सभी अनियन्त्रक Mandatory Clearances/N.O.C. की जहाँ पूर्ण रूप से लौटा, निर्भत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग ने लाया जा सकेगा।
 - रखल पर 4X3 पेट का ५८ घोड़ लगाकर प्राथिकरण द्वारा स्वीकृत मानकित सम्बन्धी विवरण ओकेत लगना अनिवार्य होगा, जिसमें अकिटेल्स/इन्होनियर के कर्म या नाम भी अंकित हो।
 - मानकित में दर्हक अशनीय धारा को स्वीकृत मानकित प्राप्त होने के एक नाह के अन्दर दुश्शाल इ-प्रिकास की देख रेख गे प्रस्तुत वापर के खातेन्सार स्व. द्वारा कराना होगा तथा वह सुनिश्चित किया जाय छि फिरी प्रयोग का जन्म-धन की हाफन न दाने पाये, कृच्या आवेदिका/आवेदक वह जिनादार होगा।
 - स्थल का अधिनोग/उपदेश त्वार्कृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा, जिसमें रिटल पारिंग, प्रदूषन तल पर व्यवसायिक ढांच, द्वितीय तल एवं पूरी तरह पर दापातीय नियमण/स्वयंदेव अनुसन्धान किया ज रहा है।
 - रेनवाटर हापैरिंग प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण करते हुए भू ग्रंथि जल दिवान से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा तात्परता ही जामा एक्सॉफार अवस्थाक मत्र किया जायेगा।
 - नानीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की सिधि में प्रदत्त स्थीरति मानकीय न्यायालय के नियम के अधीन होती है। पह स्वीकृति भू-स्थानित का अधिकार प्रदान नहीं होती है। भू-स्वामित्र रायबंधी कोई भी विषाध/सक्षम न्यायालय/प्राप्ति कारी द्वारा ही निरारित किया जा सकता है।
 - यदि आवेदिका/आवेदक द्वारा कोई न्यूनतार्पणी सूचना छिपवी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उपरोक्त नगर नियोजन एवं प्रिकास अधिनियम 1973 की धारा 15(3) के अन्तर्गत नानादेव निरसा करने जायेगा।
 - प्रस्तावित नियोजन की वैधता अवधि वैयं वर्ष के सिये है।
 - मानक नियमण से विदि नहीं के सहज की पत्ती अथवा साफ़ करना जाली के फिरी भाग (जो मलान के आग मान, पृष्ठ भाग अथवा उत्तरके आकार के कारण ढक गई हो) को साफ़ भूंचे तो गृहकर्मी ऐधर हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा विदि प्रिकास प्राथिकरण ने एक लिंकित सूचना द्वारा आर शीघ्र करा तो पहले ही 30 दिन अपने खर्च से सरम्भत करकर तुर्बवत् अवस्था जिससे प्रिकास प्राथिकरण को सांतोष हो जाए, मैं कर देगा।
 - गृह नियोजन के समय इसका भी व्यान रखना होगा कि नासीद बेद्दुत अहिनेयम 358 इ-प्रिकास इलेक्ट्रोसिटी लला 1985) नियम 82 वा ललेप्लन डिसी भी दशा में न होना चाहिए। विदि प्रिकास प्राथिकरण की जानकारी ने ऐसे मामले पाये गये तो ८८ ऐसे नियोजन को रोक क्षमता इटवा सकत है।
 - आवेदक को नियमानुसार प्रिकास प्राथिकरण को गामन की रीव तक तथा उत्तर तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मलान आवाद होने से पूर्ण देन होना तथा उस आदमी को नाम ने ऐन होना जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित रुहा है।
 - यदि नियमण ने नास्तर प्लान का उल्लंघन होता भवा गया तो नियोजकर्ता को यी नई स्वीकृति रद समझी जायेगी और जिस गया नियमण अनिवार्य घोषित कर उत्तर अहिनेयम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत क्षमतावाली आरम्भ की जायेगी।


(पुष्ट)५ श्रीवाराव)




SECOND FLOOR PLAN




FIRST FLOOR PLAN




STILT FLOOR PLAN



FRONT ELEVATION



THIRD FLOOR PLAN



STAR SECTION

